न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर क्रेम्प भोपाल

R 2859-PBR/15

1.श्रीमती शोभना उर्फ माधवी पुत्री सखाराम गोडबोले निवासी मुंबई
2. श्री सचिन आ. कमलाकर शित्रे(नाती सखाराम) द्वारा संतोष सखाराम गद्रे निवासी लोकमान्य नगर इंदौर
3. श्री शिरीष आ. सखाराम गद्रे निवासी टिमरनी

.............................पुनरीक्षणकर्तागण

विरुद्ध

1. जर्नादन आ. भगवतराव गद्रे निवासी टिमरनी
2. प्रेमनारायण आ. परसराम किरार निवासी धौलपुर कला

.............................उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता

माननीय आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा राजस्व अपील प्र0 क0 118/अपील/13-14 में पारित आदेश दिनांक 13,8.15 जिसके द्वारा उत्तरवादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर निम्न न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टिमरनी के प्रकरण क0 76 अ/70 वर्ष 2012-13 एवं तहसीलदार महोदय रहटगांव के रा.प्र.क. 8अ/70 वर्ष 2012-13 में पारित आदेश दिनांक 12.8.13 को निरस्त किया हे एवं प्रकरण पुनः जांच हेतु निम्न न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया है से व्यथित होकर पुनरीक्षणकर्तागण यह पुनरीक्षण याचिका इस माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न आधारो पर प्रस्तुत करते है-

गइ

रेत
ग्रह
का
नः
न
के
।

R. 2859-PB 82/15 हरदा

29.10.2015	आवेदकगण की ओर से श्री दिवाकर दीक्षित अभिभाषक उपस्थित। ग्राह्यता पर सुना गया। आयुक्त के आदेश दिनांक 13.8.15 का अवलोकन किया गया। आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया गया है, जो कि संहिता की धारा 49 में हुये संशोधन के विपरीत है, क्योंकि संहिता की धारा 49 में हुये संशोधन के फलस्वरूप अपीलीय प्राधिकारी को प्रकरण प्रत्यावर्तित करने की अधिकारिता नहीं है। अतः आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण गुणदोष अंतिम निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है।
(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर) अध्यक्ष